भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *281

दिनांक 16.03.2021/ 25 फाल्गुन, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

राजद्रोह संबंधी कानून

†***281. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में राजद्रोह के अपराध के अंतर्गत गत दस वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान दर्ज किये गये मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजद्रोह के मामलों की दोषसिद्धि दर तथा इन मामलों में त्वरित विचारण के लिये उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजद्रोह से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के वर्तमान उपबंधों को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं. 281

'राजद्रोह संबंधी कानून' के संबंध में दिनांक 16 मार्च, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *281 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। अपराधों के पंजीकरण, जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार की होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सूचना को अपने प्रकाशन ''क्राइम इन इंडिया'' में संकलित और प्रकाशित करता है। एनसीआरबी ने देशद्रोह के अपराध (भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124(क)) के अंतर्गत पंजीकृत किए गए मामलों पर वर्ष 2014 से आंकड़े एकत्र करना शुरू किया है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2019 तक की उपलब्ध हैं। "देशद्रोह के अपराध" के तहत दर्ज मामलों, आरोप-पत्र दायर किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, विचारण (ट्रायल) पूर्ण हो चुके मामलों और दोषसिद्धि की दर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): आपराधिक कानून में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

*****

लोक सभा ता. प्र. सं. *281 दिनांक 16.03.2021

अनुलग्नक

वर्ष 2014-2019 के दौरान "देशद्रोह के अपराध" के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामलों (सीआर), आरोप-पत्र दायर किए गए मामलों (सीसीएस), दोषसिद्ध मामलों (सीओएन), विचारण (ट्रायल) पूर्ण हो चुके मामलों (सीटीसी) और दोषसिद्धि की दर (सीवीआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014					2015					2016					2017					2018					2019				
		सीआर	सीसीए	सीओए	सीटी	सीवीआ	सीआ	सीसीए	सीओए	सीटी	सीवीआ	सीआ	सीसीए	सीओए	सीटी	सीवीआ	सीआ	सीसीए	सीओए	सीटी	सीवीआ	सीआ	सीसीए	सीओए	सीटी	सीवीआ	सीआ	सीसीए	सीओएन	सीटी	सीवीआ
1	आंध्र प्रदेश	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	1	1	1	100	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	0	1	0	0	-
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
3	असम	1	1	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	19	7	0	3	0	17	11	0	10	0	17	7	0	12	0
4	बिहार	16	0	0	0	-	9	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
5	छत्तीसगढ़	1	1	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	3	3	0	0	-	1	0	0	0	-
6	गोवा	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
7	गुजरात	0	0	0	0	-	2	1	0	0	-	0	0	0	0	-	0	1	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
8	हरियाणा	0	0	0	1	0	3	2	0	2	0	12	7	0	1	0	13	9	0	1	0	1	1	1	1	100	2	0	0	0	-
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	1	0	0	-	5	1	0	0	-	0	0	1	1	100	1	0	0	0	-
10	जम्मू और कश्मीर *	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	12	1	0	0	-	11	2	0	0	-
11	झारखंड	18	10	1	3	33.3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	18	17	0	0	-	3	0	0	16	0
12	कर्नाटक	0	0	0	0	-	3	1	0	0	-	3	1	0	0	-	0	0	0	0	-	2	2	0	1	0	22	13	0	0	-
13	केरल	5	0	0	0	-	3	0	0	0	-	3	0	0	0	-	1	0	0	0	-	9	0	0	0	-	4	0	0	0	-
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	2	1	0	0	-	1	1	1	2	50	1	1	0	0	-	1	1	0	0	-
15	महाराष्ट्र	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
16	मणिपुर	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	0	1	0	1	0	0	1	0	0	-	4	0	0	0	-	1	0	0	0	-
17	मेघालय	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
18	मिजोरम	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
19	नागालैंड	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	8	5	1	1	100
20	ओडिशा	2	2	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	3	0	0	0	-	0	0	0	0	-	2	4	0	0	-
21	पंजाब	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
22	राजस्थान	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	1	2	0	0	-	1	1	0	0	-	0	0	0	0	-	4	1	0	0	-
23	सिक्किम	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	3	1	0	0	-	1	1	0	0	-	4	0	0	0	-
25	तेलंगाना	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	2	0	0	0	-	0	1	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
27	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	6	2	0	0	-	1	1	0	0	-	0	0	0	0	-	10	5	0	1	0
28	उत्तराखंड	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
29	पश्चिम बंगाल	2	0	0	0	-	4	0	0	0	-	1	0	0	0	-	1	3	0	0	-	0	1	0	0	-	0	1	0	0	-
	कुल राज्य	**47**	**14**	**1**	**4**	**25**	**30**	**6**	**0**	**4**	**0**	**33**	**16**	**1**	**3**	**33.3**	**51**	**27**	**1**	**6**	**16.7**	**69**	**38**	**2**	**13**	**15.4**	**92**	**40**	**1**	**30**	**3.3**
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
32	दादरा एवं नगर हवेली **	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
33	दमण और दीव **	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
34	दिल्ली	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	2	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-	1	0	0	0	-
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**2**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**1**	**0**	**0**	**0**	**-**	**1**	**0**	**0**	**0**	**-**
	कुल (अखिल भारत)	**47**	**14**	**1**	**4**	**25**	**30**	**6**	**0**	**4**	**0**	**35**	**16**	**1**	**3**	**33.3**	**51**	**27**	**1**	**6**	**16.7**	**70**	**38**	**2**	**13**	**15.4**	**93**	**40**	**1**	**30**	**3.3**

स्रोतः भारत में अपराध

दोषसिद्धि दर = (दोषसिद्ध मामले) / (मामले, जिनमें विचारण पूरा किया गया) * 100 नोटः पश्चिम बंगाल से वर्ष 2019 के आंकड़े समय पर प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2018 के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

*अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ** अब दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है।